कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com **फोन नं0—01334—265700**

पत्रांकः न—6 / सीएफओ—आर / 2022 दिनांकः मार्च 05, 2022।

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स ईडब्लूएस ग्रुप हाउसिंग,
प्रधानमंत्री आवास योजना, खसरा नं0—66, 68 / 2,
ग्राम—बेलडी, तहसील—रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषयः— प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के Pre-Establishment प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः—76639049, दिनांकः 22.02.2022 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग संस्थान भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन रूड़की से कराया गया, प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या दिनांकः 28.02.2022 के अनुसार स्थल तक अग्निशमन का वाहन सुगमता से पहुँच सकता है, स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं जा रही है एवं बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सशर्त संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें मानचित्र / नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2016 के भाग—4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा स्थानीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन रूड़की का टेलीफोन नम्बर को मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें, प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, मानचित्र में प्रदर्शित सैटबैक के अनुरूप ही भवन निर्माण का कार्य किया जाये, मानचित्र को प्रधिकृत अधिकारी से स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त मानचित्र के अनुसार भवन निमार्ण कर प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्यालय से अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, न किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी / प्रबन्धक की होगी।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की संस्तुति आख्या एवं उप निदेशक महोदय (प्र0 / तक0), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का निर्माण कार्य इस उपबन्ध के साथ कराया जाये कि भवन के मानचित्र में प्रदर्शित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की के संलग्न पत्र में अंकित व्यवस्थाएं / सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, इस प्रमाण पत्र को अन्तिम अनापत्ति प्रमाण न समझा जाये भवन निर्माण पूर्ण कर संलग्न के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था करने के उपरान्त पुनः ऑनलाईन आवेदन कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

संलग्नकः यथोपरि।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

Uttrakhand Fire and Emergency services के तहत प्राप्त आवेदन दिनांक: 22.02.2022, Unique Id नं0–76639049 मैसर्स EWS ग्रुप हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, खसरा नं0–66, 68/2 ग्राम–बेलड़ी,तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार का अग्निशमन दृष्टिकोण से मेरे द्वारा दिनांक 26.02.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, प्रश्नगत स्थल वर्तमान में खाली प्लाट है।

आख्या निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेशन लाईन नहीं है।
2. प्रश्नगत स्थल तक फायर सर्विस का वाहन जा सकता है।
3. प्रश्नगत स्थल का कुल प्लाट एरिया 23665 वर्गमी0 है।
4. प्रश्नगत भवन का कुल कवर्ड एरिया 33166.7वर्गमी0 है।
5. प्रश्नगत भवन 04 तलों में प्रस्तावित है, जिसकी ऊँचाई 12 मी0 होगी।

आवासीय (EWS)भवनों में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं कराये जानी अपेक्षित है–

1. आवासीय भवनों के प्रत्येक तल पर 100 वर्गमी0 पर 01 फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किया जाय।
2. प्रत्येक आवासीय भवनों के प्रत्येक ब्लॉक के टैरिस पर 10,000 ली0 वाटर टैंक स्थापित कर होजरील का प्राविधान के साथ 450 Lpm के पम्प का भी प्राविधान किया जाय।
3. आवासीय भवनों का प्लिन्थ, भूखण्ड का क्षेत्रफल, एवं भूखण्ड की न्यूनतम् चौड़ाई, एक भवन से दूसरे भवन की दूरी उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित मानकानुसार किया जाय।
4. आवासीय भवनों में मैनुअली इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम अपेक्षित है।
5. आवासीय भवनों में मानचित्र के अनुरूप/उत्तराखण्ड भवन निमार्ण एवं विकास उपविधि के मानकानुसार सैड बैक का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा प्रत्येक ब्लॉक के चारों तरफ सैट बैक/फायर सर्विस के वाहन के आवागमन का आधार उत्तराखण्ड भवन निमार्ण एवं विकास उपविधि के मानकानुसार ही किया जाय, सैटबैक को किसी भी प्रकार से बाधित/अतिकमित न किया जाय।
6. आवासीय भवनों में विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित हो तथा विद्युत वायरिंग उच्चगुणवक्ता (ISO प्रमाणित) अथवा भारतीय मानक(ISI)प्रमाणित होनी आवश्यक है।
7. आवासीय भवनों में द्वारों की चौड़ाई प्रयाप्त होनी आवश्यक है।
8. आवासीय भवन भूकम्परोधी तकनीकि पर आधारित होना आवश्यक है।
9. आवासीय भवनों के मानचित्र में किसी भी प्रकार का संसोधन होने पर अग्निशमन विभाग को अवगत करायेगें।
10. आवासीय भवन में दिव्यांगजनों हेतु आवागमन सुलभ हो साथ ही 02 निकास मार्गों का प्राविधान किया जाय।
11. आवासीय भवनों में यदि पार्किंग/व्यवसायिक संस्थान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तों भवनों में उत्तराखण्ड भवन निमार्ण एवं विकास उपविधि एवं NBC-2016 के भाग–04 (फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी) में वर्णित मानकानुसार व्यवस्थायें स्थापित कर पालन किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कराकर अन्तिमरूप से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यकहोगा।

अतः स्थलीय निरीक्षण आख्या **Pre-Establishment** हेतु संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

अग्निशमन अधिकारी
रुड़की।

पत्रांकः– नि0/एफ.एस.आर./22
दिनांकः–फरवरी 28, 2022।